रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052021-226854
CG-DL-E-05052021-226854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1636] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 1636] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2021

(आय-कर)

का.आ. 1763(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयंभू धन निधि अर्थात्, चिसविक इन्वेस्टमेंट पीटीई. लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्धारिती" कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में किए गए विनिधानों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त निवेश" कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

(i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख, जिसको उक्त विनिधान किए गए हैं, से उस तारीख, जिसको विनिधान परिसमाप्त किए गए हैं, में आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा ।

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी लेखाबहियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी लेखापाल से करवाएगा और इस अधिसूचना से उपाबद्ध

उपाबंध में दिए गए प्ररूप में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

(iii) निर्धारिती एक त्रैमासिक विवरण, प्रत्येक तिमाही के अंत से एक मास के भीतर, परिपत्र सं. 2020 का 15, तारीख 22 जुलाई, 2020 से उपाबद्ध प्ररुप 2, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कर नीति और विधान प्रभाग) द्वारा फा.सं. 370142/26/2020-टीपीएल द्वारा जारी किया गया था, में उक्त तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में इलैक्ट्रानिकी रूप में जारी करेगा ।

(iv) निर्धारिती ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा रखेगा ।

(v) निर्धारिती का सिंगापुर द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्व में रहना और नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा और निर्धारिती पर, किसी भी समय, किसी और व्यक्ति का, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होना चाहिए ।

(vi) निर्धारिती का सिंगापुर की विधि के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा ।

(vii) निर्धारिती के उपार्जनों का या तो सिंगापुर के खाते में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाएगा ताकि भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण लिया या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय के सिवाय उपार्जनों के किसी भाग को किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

(viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई ऋण या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] नहीं होगा।;

(ix) निर्धारिती की आस्ति विघटन पर भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय को छोड़कर सिंगापुरमें निहित होगी।; और

(x) निर्धारिती विनिधान प्राप्तकर्ता [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड 23(चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (i) में अभिप्रेत है] के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेगा पंरतु विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ विनिधान की संरक्षा के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशक या कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त करना सम्मिलित है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं समझा जाएगा.

2. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) और इस अधिसूचना में यथा उपदर्शित किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट से अयोग्य ठहराएगा ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट का दावा करने वाली स्वयंभू धन निधि द्वारा फाइल की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग I

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स ……..…… (निर्धारिती की स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या सहित नाम और पता), जिनकी विशिष्टियां भाग II में दी गई हैं, की कानूनी लेखापरीक्षा अधिसूचना सं. ..... तारीख ....., जो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की अपेक्षाओं के अनुसार, *मेरे/हमारे/मैसर्स ……..…… द्वारा संचालित की गई थी ।

2. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा लेखा बहियों की जांच के अनुसार, जिसके अंतर्गत सुसंगत दस्तावेज *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) में अधिकथित सभी शर्तों और निर्धारिती को उक्त खंड (23चङ) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए स्वयंभू धन निधि के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में उपबंधित सभी शर्तों का अनुपालन किया है/ नहीं किया है ।

2.1 *वह शर्तें, जिनका निर्धारिती ने अनुपालन नहीं किया है, नीचे दिए अनुसार हैं:

(क) .....

(ख) .....

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत *मुझे/हमें दिए गए सुसंगत दस्तावेज और स्पष्टीकरण हैं, भाग II में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित पर्यवेक्षणों, अर्हताओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, अर्थात् :--

(क) .....

(ख) .....

भाग 2

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन/आधार :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय :

5. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी 11 की मद सं. 6 के अनुसार ब्यौरे) :

6. किए गए विनिधान का अथशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अतिशेष), जो धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के लिए पात्र ----------है (रु. में) और अवधि के दौरा स्वयंभू धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) द्वारा के गए विनिधान के ब्यौरे, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार इतिशेष है) :

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है				आय की रकम, जो धारा 10 के खंड (चङ) के अधीन छूट की पात्र है **(सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना शीट संलग्न करें)**
						अस्तित्व की प्रकृति (अनुदेश 6)	नाम	पैन	अस्तित्व की प्रकृति की कूट संहिता 3/4/5 की दशा में, क्या अस्तित्व ने धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ङ) में यथाअपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत न्यूनतम विनिधान किया है **(सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना शीट संलग्न करें)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										

2.										
योग										

7.*एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया है, किए गए किन्हीं विनिधानों का विक्रय नहीं किया है/ एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए कतिपय विनिधानों का उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया है, किए गए किन्हीं विनिधानों का विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है			विक्रय की तारीख
					अस्तित्व की प्रकृति (अनुदेश 7)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
योग								

8. - एसडब्ल्यूएफ आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्,-

(क)	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है	हां/नहीं
(ख)	दूसरे देश की सरकार के नाम का वर्णन करें जिसके स्वामित्व और नियंत्रण में एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः है	
(ग)	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है	प्रत्यक्षतः / अप्रत्यक्षतः
(घ)	दूसरे देश की सरकार द्वारा अप्रत्यक्षतः एसडब्ल्यूएफ का स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की श्रृंखला के ब्यौरे	
(ङ)	उस विधि का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई है और विनियमित किया जाता है	
(च)	क्या उक्त निधि से अर्जनों का प्रत्यय या तो उस दूसरे देश की सरकार के खाते में किया जाता है या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में किया जाता है जिससे अर्जनों के किसी भाग से किसी प्राईवेट व्यक्ति को कोई फायदा न हों सिवाय भारत में विनिधान करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए ।	हां/नहीं
(छ)	क्या उक्त निधि की आस्ति उस दूसरे देश की सरकार में विघटन के उपरांत सिवाय भारत में विनिधान करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए विहित हो जाएगी ।	हां/नहीं
(ज)	यदि (च) या (छ) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. प्राईवेट व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान उपबंधित फायदे की रकम	

(झ)	क्या वह धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 3 में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति जिसके लिए विनिधान किया गया है, के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, सिवाय वह व्यक्ति जिसके पास विनिधान किया गया है, विनिधान की संरक्षा करने के किसी तंत्र की मानीटरी करने के, जिसक अंतर्गत निदेशक या कार्यपालक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है	हां/नहीं
(ञ)	यदि (झ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i.जिसके पास विनिधान किया गया है, का नाम ii.जिसके पास विनिधान किया गया है, का पैन iii.जिसके पास विनिधान किया गया है, के पास वर्ष के अंत में विनिधान की रकम	
(ट)	क्या उसने उसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान के ब्यौरों की परिपत्र सं. 15/2020 तारीख 22.07.2020 द्वारा जारी प्ररूप सं. 2 में संसूचना की अपेक्षा की अनुपालना की है	हां/नहीं
(ठ)	क्या उसके पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
(ड)	यदि (ठ) का उत्तर हां में है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: (i) उस व्यक्ति का नाम जिससे पैसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के प्रारंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुनः संदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	
(ढ)	ऐसे विनिधान के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन छूट के लिए अर्हित होता है, आय और विनिधान के लिए पृथक खंडवार लेखा रखा गया है ।	हां/नहीं

स्थान : .....

तारीख : .....

**(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता की स्टेंप/मुहर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

पूरा पता .....

सदस्यता सं.....

यूडीआईएन.....

.

अनुदेश: 1. *जो लागू न हों, उसे काट दें ।

2. † यह प्रमाणपत्र किसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा दी जानी है ।

3. ^ "जिसके पास विनिधान किया गया है" का वहीं अर्थ होगा जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) हैं और "ऋण और उधार" का वहीं अर्थ होगा जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में हैं ।

4. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है :

विनिधान की प्रकृति	**कूट**
उधार	1
साम्य	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	**कूट**
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित में से किसी एक कूट का चयन किया जाना है:

अस्तित्व की प्रकृति जिसमें विनिधान किया जाता है	**कूट**
धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व	2
धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विनिधान निधि	3
धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देसी कंपनी	4
धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	5

[अधिसूचना सं. 55/2021 /फा.सं. 370142/44/2020-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव